समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 11-07-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	भूमि विकास बैंक, मधेपुरा	अवकाश में।
2.	आई0टी मैनेजर, मधेपुरा	अवकाश में।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र0	संबंधित विभाग /पदा0 का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	(स्वास्थ्य) सिविल सर्जन, मधेपुरा	सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में यथानिदेशित आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें, ताकि आपात् स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सके।
2.	(नहर की स्थिति) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज, त्रिवेणीगंज एवं राघोपुर	**त्रिवेणीगंज :-** कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, त्रिवेणीगंज द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत मुरलीगंज शाखा नहर से निःसृत नहर प्रणालियों की स्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि कुल-22 नहरों में से निसीहरपुर लघु नहर, लालपुर लघु नहर, जोगियाचाई लघु नहर, बरियाही लघु नहर, पटोरी लघु नहर, मधेपुरा लघु नहर, धबौली लघु नहर, जीतापुर लघु नहर, परस्तपार लघु नहर, रेशना लघु नहर, पड़वा लघु नहर एवं पोखरामपुर लघु नहर में विभिन्न कारणों से अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने की बात बतायी गयी। साथ ही कुछ नहरों में अतिक्रमण हटाने, मरम्मति कराने की बात बतायी गयी है। **मुरलीगंज :-** कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज द्वारा उपलब्ध कराये

		गये प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि सुखासन वितरणी, चिरौरी लघु नहर, सहौरा, गंगापुर लघु नहर, करर्नली उप वितरणी, गंगापुर उप वितरणी, पंचगछिया माईनर आदि नहरों में संरचना एवं अन्य कार्य होने संबंधी बातें बतायी गयी है, जिसके कारण नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी प्रकार राघोपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि कुछ नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त सभी नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लघु नहर में काफी अतिक्रमण हो गया है, जिसे हटाने की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि नियमानुसार लघु नहरों से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज द्वारा बताया गया कि मुरलीगंज प्रमण्डल अन्तर्गत कुछ नहरों में पानी एक सप्ताह के अंदर पहुंच जायेगा।
3.	(लघु सिंचाई) कार्य0 अभि0, लघु सिंचाई प्र0, मधेपुरा	समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित वांछित तैयारी कर लें एवं प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध करावें, ताकि दिनांक 12-07-16 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस में समीक्षा किया जा सके।
4.	(एन0एच0) कार्य0अभि0, एन0एच0	समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एन0एच0 के लगभग सभी सड़कों की स्थिति जर्जर है, जिसे नियमानुसार मरम्मति किये जाने की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि जहां-जहां एन0एच0 में कार्य हो रहा है, वहां कार्य गुणवत्ता के अनुरूप हो सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।
5.	(पशुपालन) जिला पशुपालन पदा0	जिलाधिकारी द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बाढ़ पूर्व तैयारी के मद्देनजर सभी पशु केन्द्रों में आवश्यक दवाई वितरण सुनिश्चित करें एवं पशु चारा का नियमानुसार प्रस्ताव अविलम्ब भेंजे, ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके।
6.	(शिक्षा) जिला शिक्षा पदा0, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि निजी स्कूल के छात्र, जो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है एवं धनी परिवार से है, उसका नामांकन जवाहर नवोदय विद्यालय में करवाया गया है, जबकि पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया था कि निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र/छात्रा का नामांकन जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा

		अधोहस्ताक्षरी को दिग्भ्रमित कर अपने निजी स्वार्थवश नामांकन करवा दिया गया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया एवं जिला शिक्षा पदा0 को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपना कारण पृच्छा समर्पित करें।
7.	(सर्वशिक्षा अभियान) जिला कार्यक्रम पदा0, सर्वशिक्षा अभियान	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समाचार पत्र में इस आशय का खबर प्रकाशित हुआ कि शंकरपुर प्रखण्ड में शादी का समारोह का आयोजन हेतु विद्यालय को बुक किया गया एवं दो दिनों तक विद्यालय के शिक्षण कार्य को बाधित किया गया, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के पठन-पाठन को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, फलस्वरूप जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा /स्थापना, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तत्काल नियमानुसार निलंबित करने संबंधी प्रस्ताव संचिका के माध्यम से आज ही अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग 5 प्रखण्ड के शिक्षकों का वेतन चला गया है, जबकि अन्य प्रखण्डों के शिक्षकों का वेतन संबंधी मामलें भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा, मधेपुरा में लंबित है। जिलाधिकारी द्वारा तत्क्षण जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा एवं शाखा प्रबंधक, एस0बी0आई0, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि लंबित शिक्षकों का वेतन भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करें।
8.	(सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी)	जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड में विभिन्न विद्यालयों की स्थिति काफी निराशजनक है। आये दिन ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि विद्यालय में पठन-पाठन ठीक ढ़ंग से नहीं हो रहा है, मध्याह्न भोजन बंद रहता है, शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाते हैं। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपना-अपना मोबाईल नम्बर जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध करा दें, ताकि उक्त नम्बरों का वाट्सएप ग्रुप बनाकर तैयार किया जा सके। साथ ही प्रातः 09:00 बजे से 10+00 बजे के बीच एवं दोपहर 03 बजे से 04 बजे, जिसमें 05 विद्यालय प्रति दिन 10 विद्यालयों का निरीक्षण करें एवं निरीक्षण प्रतिवेदन वाट्सएप के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।
9.	(भवन) कार्यपालक अभि0, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बी0आर0सी0 का निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार काफी धीमी गति से हो रहा है। जिलाधिकारी द्वारा जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बैठक के पश्चात् उक्त निर्माण कार्य की जांच की जाए एवं कार्य धीमी गति से करने के निमित्त एक लाख रू0 को नियमानुसार जुर्माना लगाने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को दिया गया।